RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

प्रगति प्रतिवेदन

2020-21

(दिसम्बर, 2020 तक)

RIICO

GROW WITH RAJASTHAN

प्रगति प्रतिवेदन

2020–21

(दिसम्बर, 2020 तक)

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
	कार्यकारी सारांश	1
	विशेष पहल एवं उपलब्धियां	2
	संगठन सरंचना	3
1	रीको के प्रमुख उद्देश्य	4
2	वार्षिक लेखें एवं कार्य परिणाम	4
3	औद्योगिक क्षेत्रों का विकास	4
4	भू आवंटन एवं रीको भू-निपटान नियम, 1979 : नीतिगत निर्णय, रियायतें व सरलीकरण (1 जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2020 तक)	4
5	सावधि ऋण	5
6	केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं	5
	(i) असाईड योजना	5
	(ii) मिनी ग्रोथ सेन्टर्स	5
7	रीको द्वारा विकसित विशेष पार्क/जोन	5
	(i) एग्रो फूड पार्कस्	5
	(ii) नीमराना में जापानी पार्क	5
	(iii) स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन	5
	(iv) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड) का विकास	5
8	रीको की अन्य विशेष योजनाएं	6
	(i) रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स परियोजना पर आधारित एकीकृत औद्योगिक जोन की स्थापना	6
	(ii) अनुसूचित जाति उपयोजना	6
	(iii) क्षेत्रीय औद्योगीकरण प्रोत्साहन योजना (पिछड़े जिले) 2011-12	6
	(iv) औद्योगिक सेक्टर्स को बढ़ावा : स्टोनमार्ट एवं वस्त्र - 2020	6
9	पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ	6
10	मानव संसाधन विकास	6
	परिशिष्ट	
	आधारभूत सुविधाएं (सारांश) (परिशिष्ट-1)	7
	सावधि ऋण (परिशिष्ट-2)	7

कार्यकारी सारांश

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको) वर्ष 1969 से राज्य में औद्योगीकरण की गति को तीव्र से तीव्रतर बनाने के लिए सतत् रूप से प्रयत्नशील है। रीको के प्रमुख उद्देश्य आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर लघु, मध्यम एवं वृहद् श्रेणी के उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना एवं सावधि ऋण प्रदान करना है। औद्योगिक व्यापार एवं विनियोजन संवर्द्धन गतिविधियों को बढ़ावा देना रीको की प्राथमिकता है।

राज्य में रीको द्वारा 352 औद्योगिक क्षेत्र संचालित किये जा रहे हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए दिसम्बर, 2020 तक 84441.16 एकड़ भूमि अवाप्त एवं 49386.61 एकड़ भूमि विकसित की गई है। औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए रीको द्वारा इस आलोच्य अवधि तक 57250 भूखण्ड आवंटित किये गये हैं जिनमें 42144 इकाइयां उत्पादनरत हैं। रीको की स्थापना से लेकर दिसम्बर, 2020 तक सावधि ऋण के रूप में 3726.55 करोड़ रु. स्वीकृत एवं 2724.63 करोड़ रु. वितरित किये जा चुके हैं।

राज्य में औद्योगीकरण की गति को बनाये रखने के लिये वर्ष 2019-20 में 868.51 एवं वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 118.82 एकड़ भूमि विकसित की गई। वर्ष 2019-20 के दौरान रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 1212 भूखण्ड तथा वर्ष 2020-21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक 833 भूखण्ड आवंटित किये गये। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, रख-रखाव एवं भूमि अधिग्रहण आदि कार्यों पर वर्ष 2019-20 में 295.61 करोड़ रु. तथा वर्ष 2020-21 में दिसम्बर, 2020 तक 226.30 करोड़ रु. व्यय किये जा चुके हैं। वर्ष 2019-20 में रीको के औद्योगिक क्षेत्रों से 730.02 करोड़ रु. तथा वर्ष 2020-21 में दिसम्बर, 2020 तक 529.61 करोड़ रु. की वसूली की गई ।

रीको द्वारा वर्ष 2019-20 में विभिन्न परियोजनाओं हेतु 47.54 करोड़ रु. के सावधि ऋण स्वीकृत किये गये तथा 139.81 करोड़ रु. की ऋण वसूली की गई। वर्ष 2020-21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक 11.10 करोड़ रु. के ऋण स्वीकृत तथा 57.85 करोड़ रु. की ऋण वसूली की गई है।

नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के साथ-साथ वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार पर बल दिया जा रहा है। साथ ही औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु रीको भू-निपटान नियमों का सरलीकरण किया गया है, जिससे राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया जा सके।

विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ

ऊर्जा संरक्षण एवं सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना : रीको द्वारा ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्त्रोत को बढ़ावा देने का नीतिगत निर्णय लिया गया। इस क्रम में प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रोड़ लाईट नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण एवं पारम्परिक (HPSV) रोडलाईट को बदल कर ऊर्जादक्ष एलईडी लाईट के कार्य किये जा रहे है। इस क्रम में वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 38220 कनवेन्सनल लाईटों को एलईडी लाईटों में परिवर्तित करने एवं नई लाईटें लगाने का कार्य किया जा चुका है साथ ही 2890 एलईडी लाईटें लगाने एवं परिवर्तित करने के कार्यादेश जारी किये जा चुके है। रीको के इकाई कार्यालय पर कुल 309 KWp के सोलर पॉवर प्लांट स्थापित किये जा चुके है।

भूमि आवंटन में पारदर्शिता : रीको द्वारा राज्य में उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध करवाने हेतु e-auction किया जा रहा है। इसी क्रम में विगत 2 वर्षो के दौरान लगभग 2000 औद्योगिक/वाणिज्यिक/आवासीय भूखण्ड आवंटित किये गये।

पर्यावरण संरक्षण : राज्य में औद्योगिक एवं पर्यावरण संरक्षण के मध्य सामंजस्य बनाये रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 6 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई। रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में हानिकारक ठोस अपशिष्ट को रि-साईक्लिंग करने वाली औद्योगिक इकाईयों के लिए भूखण्ड आरक्षित करने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों को स्वच्छ बनाये रखने के उददेश्य से अपशिष्ट फैलाने वाली औद्योगिक इकाईयों के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने हेतु रीको लैण्ड डिस्पोजल रूल्स में आवश्यक नियमों का समावेश किया गया है।

औद्योगिक क्षेत्रों का विकास : रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत 4 यथा गजनेर जिला बीकानेर, करनपुरा जिला भीलवाड़ा, खोड़ा जिला अजमेर, उड़वारिया जिला सिरोही एवं 2020-21 के अन्तर्गत 11 यथा बगड़-भीम जिला राजसमंद, उनियारा जिला टोंक, रघुनाथपुरा जिला अजमेर, दुब्बी बिदरखां जिला सवाईमाधोपुर, बोरावास कालावां जिला बाड़मेर, बडगांव जिला सिरोही, बंदापुर, चौपानकी (विस्तार) जिला अलवर, प्रतापगढ़ (विस्तार) जिला प्रतापगढ़, गोगेलाव-बालवा जिला नागौर, सरदारशहर (विस्तार) जिला चूरू, रोहट जिला पाली के लिये प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।

संगठन संरचना

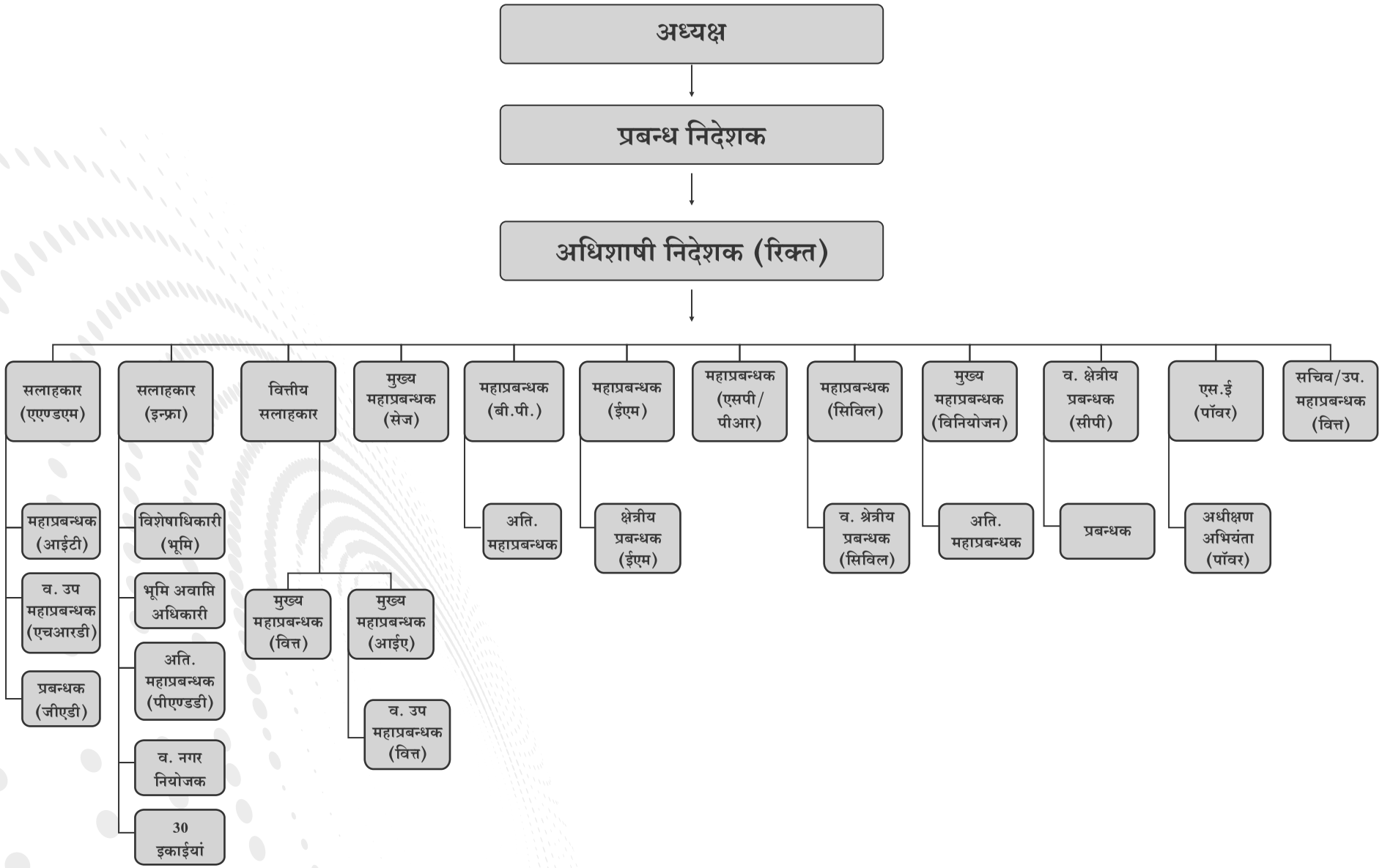
अध्यक्ष
प्रबन्ध निदेशक
अधिशाषी निदेशक (रिक्त)
सलाहकार (एएण्डएम)
सलाहकार (इन्फ्रा)
वित्तीय सलाहकार
मुख्य महाप्रबन्धक (सेज)
महाप्रबन्धक (बी.पी.)
महाप्रबन्धक (ईएम)
महाप्रबन्धक (एसपी/ पीआर)
महाप्रबन्धक (सिविल)
मुख्य महाप्रबन्धक (विनियोजन)
व. क्षेत्रीय प्रबन्धक (सीपी)
एस.ई (पॉवर)
सचिव/उप. महाप्रबन्धक (वित्त)
महाप्रबन्धक (आईटी)
व. उप महाप्रबन्धक (एचआरडी)
प्रबन्धक (जीएडी)
विशेषाधिकारी (भूमि)
भूमि अवाप्ति अधिकारी
अति. महाप्रबन्धक (पीएण्डडी)
व. नगर नियोजक
30 इकाईयां
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)
मुख्य महाप्रबन्धक (आईए)
व. उप महाप्रबन्धक (वित्त)
अति. महाप्रबन्धक
क्षेत्रीय प्रबन्धक (ईएम)
व. श्रेत्रीय प्रबन्धक (सिविल)
अति. महाप्रबन्धक
प्रबन्धक
अधीक्षण अभियंता (पॉवर)

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की गतिविधियों का प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक)

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको) वर्ष 1969 से अपने उद्देश्यानुसार राज्य में औद्योगीकरण की गति को तीव्र से तीव्रतर बनाने के लिए सतत् रूप से प्रयत्नशील है। रीको औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना कर उनमें आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित करता है, साथ ही उद्योगों व अन्य परियोजनाओं को सावधि ऋण प्रदान करता है। रीको उद्यमियों को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सूचनाएं/सेवाएं भी प्रदान करता है। रीको राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य में औद्योगिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी तत्पर है।

1. रीको के प्रमुख उद्देश्य :

(i) आधारभूत सुविधाएं प्रदान कर लघु, मध्यम एवं वृहद् श्रेणी के उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना।

(ii) सावधि ऋण प्रदान करना।

(iii) औद्योगिक, व्यापार एवं विनियोजन संवर्द्धन गतिविधियां।

2. वार्षिक लेखे एवं कार्य परिणाम :

वित्तीय वर्ष 2018–19 में रीको को 70.51 करोड रु. का एवं 2019–20 में 265.30 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकार को 14.10 करोड़ रु. एवं वर्ष 2019–20 में 21.02 करोड़ रु. लाभांश के रूप में राज्य सरकार को देय है।

3. औद्योगिक क्षेत्रों का विकास :

राज्य में रीको द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों की कुल संख्या दिसम्बर, 2020 तक 352 है। रीको द्वारा वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च कोटि की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने पर बल दिया जा रहा है।

राज्य में औद्योगीकरण की गति को बनाये रखने के लिये वर्ष 2019–20 में 868.51 एकड़ एवं वर्ष 2020–21 माह दिसम्बर, 2020 तक 118.82 एकड़ भूमि विकसित की गई। वर्ष 2019–20 के दौरान रीको के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 1212 भूखण्ड एवं वर्ष 2020–21 के दौरान दिसम्बर, 2020 तक 833 भूखण्ड आवंटित किये गये। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, रख–रखाव एवं भूमि अधिग्रहण आदि कार्यो पर वर्ष 2019–20 में 295.61 करोड़ रु. एवं वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 226.30 करोड़ रु. व्यय किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 में औद्योगिक क्षेत्रों से 730.02 करोड़ रु. एवं 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक 529.61 करोड़ रु. की प्राप्तियाँ रही हैं। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** पर उपलब्ध है।

4. भू–आवंटन एवं रीको भू–निपटान नियम, 1979 : नीतिगत निर्णय, रियायतें व सरलीकरण (1 जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2020 तक)

- रीको द्वारा स्थापित किये जाने वाले नये औद्योगिक क्षेत्र जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है एवं जिनकी भूखण्ड आवंटन की दर निर्धारित की जा चुकी है, परन्तु आवंटन हेतु खोले नहीं गये हैं एवं भविष्य में स्थापित किये जाने वाले नये औद्योगिक क्षेत्रों की भूखण्ड आवंटन की आरक्षित दरों को तर्क संगत बनाने हेतु जनवरी 2020 में नीति बनाई गई है जिसके अन्तर्गत औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन की आरक्षित दरें 20–25 प्रतिशत तक कम हो सकेंगी ।
- निगम द्वारा माह जुलाई, 2020 में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने हेतु समर्पित औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। ये औद्योगिक क्षेत्र 50 हैक्टेयर से छोटी एवं 10 हैक्टेयर से बड़ी भूमि पर विकसित किए जाएगें एवं इन औद्योगिक क्षेत्रों में 250–700 वर्गमीटर के छोटे भूखण्ड आवंटन हेतु नियोजित किये जायेगें। उक्त नीति के अन्तर्गत तीन एम.एस.ई. औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि रघुनाथपुरा (अजमेर), उनियारा (टोंक) एवं बड़गाँव (सिरोही) में विकसित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।
- निगम द्वारा माह जुलाई, 2020 में बच्चों के देखभाल की सुविधा हेतु क्रेच (पालना–घर) की स्थापना हेतु भूमि आवंटन का नीतिगत निर्णय किया गया है। उक्त नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार को 1 रुपये टोकन लीज राशि पर भूमि आवंटित की जायेगी। साथ ही स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) जिसमें क्रेच की सुविधा चाहने वाले स्थानीय उद्यमी सदस्य होंगे, को भी नियमानुसार भूमि आवंटन औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित आवंटन दर पर किये जाने के प्रावधान किये गये हैं।
- रीको के द्वारा दिनांक 01.08.2020 के पश्चात् भूखण्डों की नीलामी में आवंटित भूखण्डों की 75 प्रतिशत राशि जमा कराने के लिए वर्तमान में 3 या 7 किश्तों के स्थान पर 11 किश्तों की सुविधा 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान की गई है।
- निगम द्वारा माह जुलाई, 2020 में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समूह द्वारा गठित स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) को कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) की स्थापना हेतु भूमि आवंटन औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित आवंटन दर के 25 प्रतिशत पर किये जाने का नीतिगत निर्णय किया गया है।
- निगम द्वारा माह जुलाई, 2020 में औद्योगिक क्षेत्रों में इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हेतु भूमि आवंटन औद्योगिक

क्षेत्र की प्रचलित आवंटन दर के 50 प्रतिशत पर किये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है।

5. सावधि ऋण :

औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाओं को सावधि ऋण की स्वीकृति तथा वितरण रीको की महत्वपूर्ण गतिविधि है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 47.54 करोड़ रु. के सावधि ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इसी अवधि में सावधि ऋण के रूप में 85.87 करोड़ रु. वितरित किये गये एवं 139.81 करोड़ रु. की वसूली रही है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 11.10 करोड़ रु. के सावधि ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसी अवधि में 32.93 करोड़ रु. के सावधि ऋण वितरित किए जाकर 57.85 करोड़ रु. की वसूली की जा चुकी है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-2** पर उपलब्ध है।

रीको राज्य में औद्योगिक विकास हेतु लघु, मध्यम एवं बृहद श्रेणी की इकाइयों की स्थापना हेतु सावधि ऋण प्रदान करता है, साथ ही उद्यमियों को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सूचनाएं/सेवाएं भी प्रदान करता हैं।

6. केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं :

(i) **असाईड योजना :** इस योजना के अन्तर्गत निर्यात संवर्द्धन आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता से 30 परियोजनाओं पर 377.97 करोड़ रु. का व्यय कर क्रियान्वयन किया जा चुका है। इन परियोजनाओं हेतु भारत सरकार से 230.93 करोड़ रु. एवं राज्य सरकार से 6.94 करोड़ रु. का अनुदान प्राप्त हुआ हैं।

(ii) **मिनी ग्रोथ सेन्टर्स :** ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों को एकीकृत आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत लगभग पांच-पांच करोड़ रुपये की लागत से राज्य में 9 लघु विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन परियोजनाओं पर दिसम्बर, 2020 तक कुल 45.92 करोड़ रु. व्यय किये गये।

भारत सरकार की मॉडिफाईड (MSE-CDP) योजना के अन्तर्गत वर्तमान में स्वीकृत 26 परियोजनाओं में से 8 परियोजना पूर्ण की जा चुकी है एवं शेष 18 परियोजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं, इन 26 परियोजनाओं की कुल लागत 162.91 करोड़ रु. है। इनके लिए कुल अनुदान राशि 79.51 करोड़ रु. स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं पर दिसम्बर, 2020 तक 51.40 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हो चुकी है एवं 79.34 करोड़ रु. की राशि व्यय की जा चुकी है।

इस प्रकार मिनी ग्रोथ सेन्टरर्स एवं मॉडिफाईड (MSE-CDP) योजना की कुल 35 परियोजनाओं पर दिसम्बर, 2020 तक कुल 125.26 करोड़ रु. व्यय किये गये हैं। इन परियोजनाओं हेतु भारत सरकार से 63.56 करोड़ रु. का अनुदान प्राप्त हुआ है।

7. रीको द्वारा विकसित विशेष पार्क/जोन :

(i) **एग्रो फूड पार्कस् :** रीको द्वारा चार एग्रो फूड पार्कस् क्रमंश: बोरानाडा (जोधपुर), कोटा, अलवर एवं श्रीगंगानगर में विकसित किये जा चुके है। निगम द्वारा औधोगिक क्षेत्र तिंवरी, जोधपुर में करीबन 33 एकड़ भूमि पर ''फूड पार्क'' विकसित किया जा रहा है।

(ii) **नीमराना में जापानी पार्क :** राज्य में ऑटोमोटिव व अन्य सेक्टर में अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी व जापानी निवेश हेतु रीको द्वारा जापान एक्सर्टनल ट्रेड ऑरगेनाईजेशन (जेट्रो) के साथ 2006 में हुए एम.ओ.यू. के तहत नीमराना में 1161.47 एकड़ भूमि पर एक जापानी जोन विकसित किया गया है। इस जोन मे 55 कम्पनियों को भूमि आवंटित की गई है। जिनमें से 45 कम्पनियों ने उत्पादन प्रांरभ कर दिया है। इन कम्पनियों से 5860 करोड़ रु. से अधिक के निवेश की संभावना है व 16557 से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इस जोन में बहुराष्ट्रीय जापानी कम्पनियों जैसे निसिन ब्रेक, डाईकिन, यूनीचार्म, मित्सुई आदि ने अपनी इकाईयां स्थापित की है। भारत में यह अपनी तरह का पहला नवाचार है। इस जोन की सफलता को देखते हुए रीको द्वारा 533.56 एकड़ भूमि में घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में दूसरा जापानी जोन स्थापित किया गया है।

(iii) **स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन :** राज्य में औद्योगिक विकास की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सेक्टर विशेष के उद्योगों को राज्य में उद्योग लगाने हेतु खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना से राज्य में औद्योगिक विकास के साथ-साथ निवेश एवं रोजगार के अवसर सृजित होगें। इसमें माह दिसम्बर, 2020 तक 19 भूखण्ड आवंटित कर दिये गये है एवं शेष भूखण्डों की आवंटन प्रक्रिया जारी हैं।

(iv) **विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड) का विकास :**

(अ) वर्तमान में राज्य में जैम्स ज्वैलरी उत्पाद आधारित दो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) सरकारी क्षेत्र में है, जो कि सीतापुरा, जयपुर में स्थापित हैं। इन क्षेत्रों से वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1464.85 करोड़ रु. का एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिसम्बर, 2020 तक 959.66 करोड़ रु. का निर्यात हुआ है। जैम्स एण्ड ज्वैलरी सेज स्थापित होने से अब तक 11131 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

(ब) महेन्द्रा ग्रुप ने रीको के साथ मिलकर महेन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. (संयुक्त उपक्रम) में बहुउत्पाद विशेष आर्थिक जोन (सेज़) की स्थापना की है, जिसमें करीब 5248.10 करोड़ रु. का निवेश हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1724.80 करोड़ रु. का एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिसम्बर, 2020 तक 1372.16 करोड़ रु. का निर्यात हुआ है। महेन्द्रा सेज़ के स्थापित होने से अब तक लगभग 48062 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

8. रीको की अन्य विशेष योजनाएं :

(i) रिफाईनरी सह पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स परियोजना पर आधारित एकीकृत औद्योगिक जोन की स्थापना :

पचपदरा (बाड़मेर) में स्थापित हो रही रिफाईनरी सह पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स योजना पर आधारित उद्योगों की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में प्रस्तावित एकीकृत औद्योगिक जोन को अब पीसीपीआईआर परियोजना के रूप में विकसित किये जाने के लिये भारत सरकार के डिपार्टमेंट आफ केमिकल्स एंड पैट्रोकेमिकल्स में प्रस्तुत किये जाने वाले परियोजना प्रस्ताव इत्यादि तैयार करने की दिशा में कंसलटेंट नियुक्त कर दिया गया है।

रिफाईनरी स्थल से करीब 16-17 किमी की दूरी पर करीब 243.46 हैक्टेयर भूमि ग्राम बोरावास, कलावा तहसील पचपदरा में रीको के पास उपलब्ध है, जिसमें से 32.489 हैक्टेयर पार्ट भूमि पर प्लानिंग कर दी गई है। इसमें 93 भूखण्ड प्रस्तावित है।

बाड़मेर जिले के ग्राम रामनगर (थोब) में 422.34 हैक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जो कि रिफाईनरी सह पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स से लगभग 35 कि.मी. की दूरी पर है। इस भूमि के आवंटन के लिये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बाड़मेर एवं जोधपुर जिलों में 16 सरकारी भूमियों जिनका क्षेत्रफल लगभग 2290 हैक्टेयर है, को चिन्हित किया गया है। जिस पर कार्यवाही जारी है। इसके अतिरिक्त बाड़मेर एवं जोधपुर जिलों में ही अन्य भूमियों को चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(ii) अनुसूचित जाति उपयोजना :

रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के उद्यमियों को 50 प्रतिशत रियायती दर पर भूखण्ड़ (अधिकतम 2000 व.मी. तक) आवंटित किए जाते हैं। वर्ष 2019-20 में 102.49 लाख रुपये की एवं वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 238.37 लाख रुपये की छूट प्रदान की है।

(iii) क्षेत्रीय औद्योगीकरण प्रोत्साहन योजना (पिछड़े जिले) 2011-12 :

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों यथा करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बारां तथा प्रतापगढ़ में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से रीको द्वारा आवंटित भूखण्ड़ों पर उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ करने को प्रोत्साहित करने हेतु एक योजना ''क्षेत्रीय औद्योगीकरण प्रोत्साहन योजना (पिछड़े जिले)'' लागू है। इस योजनान्तर्गत उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2020 तक 105 उद्यमियों को 661.41 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(iv) औद्योगिक सेक्टर्स को बढ़ावा :

स्टोनमार्ट: अन्तर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी, राजस्थान राज्य का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इस 4 दिवसीय पत्थर उद्योग आधारित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में देश-विदेश के स्टोन माईनिंग, प्रोसेसिंग, मशीनरी, टूल्स एवं स्टोन क्राट के उद्यमियों द्वारा स्टाल लगाई जाती है जिसमें बड़ी संख्या में देश-विदेश से ट्रेड विजिटर्स, वास्तुकारों द्वारा भाग लिया जाता है। स्टोनमार्ट के दौरान ही जयपुर आर्किटेक्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें भी बड़ी संख्या में आर्किटेक्ट्स द्वारा भाग लिया जाता है। इस कार्यक्रम के आयोजन से स्टोन ट्रेड के उद्यमियों को आर्किटेक्ट्स से सीधे सम्पर्क का अवसर प्राप्त होता है जिससे उन्हें अपने उत्पादों को विपणन करने का अवसर मिलता है।

इण्डिया स्टोनमार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन दिनांक 4-7 फरवरी, 2021 में किया जाना प्रस्तावित था परन्तु विश्व व्यापी कोविड़-19 (कोरोना) महामारी के कारण अब इसका आयोजन 25-28 नवम्बर, 2021 में किया जाना प्रस्तावित है।

वस्त्र-2020 : रीको द्वारा टैक्सटाईल एवं अपैरल उद्योग से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के 7वें संस्करण ''वस्त्र एन इंटरनेशनल टैक्सटाईल एण्ड अपैरल फेयर -2020'' (वस्त्र - 2020) का आयोजन वर्चुअल फेयर के रूप में दिनांक 23 से 27 सितम्बर, 2020 तक किया गया। इस वर्चुअल वस्त्र की वेबसाइट 7 अक्टूबर, 2020 तक लाईव रखी गई। इसके आयोजन से भाग लेने वाले एक्जीबीटर्स को विशेषकर निर्यात के अवसरों को तलाशने का अवसर मिला।

9. पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ :

निगम द्वारा राज्य में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक छः औद्योगिक क्षेत्र यथा फतेहपुर समेलियां (भीलवाड़ा), रानपुर (कोटा), बग्गड (राजसमंद), धनुवा (जैसलमेर), गोगेलाव (नागौर) एवं सरदारशहर विस्तार (चुरू) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई है।

10. मानव संसाधन विकास :

(i) निगम में माह दिसम्बर, 2020 तक कुल 1161 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 649 कार्मिक कार्यरत है एवं 512 पद रिक्त है।

(ii) निगम में वर्ष 2019-20 में 4 कार्मिकों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी गयी एवं वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 1 कार्मिक को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गई।

(iii) निगम के विभिन्न संवर्गो में पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर लगभग 185 अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक पदोन्नति प्रदान की गयी।

आधारभूत सुविधाएं (सारांश)

क्र.सं.	विवरण	प्रगति 2018–19	प्रगति 2019–20	प्रगति 2020–21 (दिसम्बर 2020 तक)
	1	2	3	4
1.	विकसित भूमि (एकड़)	1153.67	868.51	118.82
2.	आवंटित भूखण्ड (संख्या)	285	1212	833
3.	औद्योगिक क्षेत्रों पर खर्चा (राशि करोड़ रुपयों में)	366.01	295.61	226.30
4.	औद्योगिक क्षेत्रों से वसूली (राशि करोड़ रुपयों में)	574.43	730.02	529.61

सावधि ऋण

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	प्रगति 2018–19	प्रगति 2019–20	प्रगति 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक)
	1	2	3	4
1.	स्वीकृत	165.90	47.54	11.10
2.	वितरित	68.95	85.87	32.93
3.	वसूली	191.16	139.81	57.85

RIICO
GROW WITH RAJASTHAN

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर- 302005

फोन: 0141-4593201, 2227751 | **फैक्स:** 0141 4593210

ई-मेल: riico@riico.co.in | **वेबसाइट:** riico.co.in

फॉलो करें: